

## (जिला योजना कार्यालय)

### आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल से प्राप्त प्राक्कलन पत्रांक 236 दिनांक 01.03.2019, पत्रांक 677 दिनांक 05.09.2019 एवं पत्रांक 811 दिनांक 26.09.2019 के आधार पर कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर चयन समिति से चयनित योजना के आलोक में स्थल के उपलब्धता के अनुसार नीचे अंकित योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल को नियुक्त किया जाता है।

क्र०	अनुमोदित योजना का क्रमांक एवं तिथि	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	प्रखंड	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	33/04.08.18	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल।	कलेर प्रखंड अन्तर्गत कलेर कब्रिस्तान(खाता-257, प्लॉट-2468, रकवा-1.00) का घेराबंदी कार्य।	कलेर	19.64	45 दिन
2	04/04.08.18		कुर्था प्रखंड अन्तर्गत गौहरा कब्रिस्तान(खाता-203, खेसरा-434, रकवा-0.14) का घेराबंदी कार्य।	कुर्था	7.895	
3	09/04.08.18		कुर्था प्रखंड अन्तर्गत मिदनीपुर बडहीया कब्रिस्तान (खाता-78, खेसरा-456, रकवा-0.26) का घेराबंदी कार्य।	कुर्था	4.155	
4	15/04.08.18		करपी प्रखंड अन्तर्गत सेलारपुर कब्रिस्तान(खाता-113, खेसरा-980, रकवा-0.48) का घेराबंदी कार्य।	करपी	18.391	
5	16/04.08.18		प्रखंड करपी अन्तर्गत अईयारा कब्रिस्तान(खाता-199, खेसरानं०-37 28, रकवा-0.61) का घेराबंदी कार्य।	करपी	12.467	
		कुल			62.548	


बासठ लाख चौवन हजार आठ सौ रुपये मात्र।

### योजना कार्यान्वयन की शर्तें:-

योजना के प्रारंभ करने से पहले संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि किसी अन्य विभाग से योजना स्वीकृत अथवा कार्यान्वयन तो नहीं है।


1. योजना में प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करने से पूर्व संबंधित अंचल अधिकारी से विवाद रहित भूमि होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।
2. योजना का निर्माण निविदा के माध्यम से करायेंगे।
3. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाय।
4. योजना से संबंधित प्रभारी कनीय अभियंता योजना में किये गये कार्य की मापी प्रत्येक तीन दिन पर लेंगे योजना की गुणवत्ता के लिये कार्यपालक अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता एवं संबंधित कनीय अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
5. कार्य स्थल पर बोर्ड लगवाना तथा योजना निरीक्षण पंजी का संधारण करना आनिवार्य है, जिस पर निरीक्षण के दौरान प्रविष्टि की जाएगी।
6. उपावटित राशि का व्यय किसी अन्य योजना में नहीं किया जाय। योजना के लिए अभियंता के द्वारा अभिलेख अलग खोला जाएगा। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मास्टर रौल एवं वाउचर को सत्यापित किया जाएगा।
7. अगर विगत पाँच वर्षों में किसी भी योजना के तहत इस योजना में कार्य कराया गया है तो उस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाय। यह जवाबदेही पूर्ण रूपेण कार्यकारी एजेंसी को होगी।

9. योजना शुरू होने के प्रारंभ/मध्य/अंत में फोटोग्राफी अवश्य कराया जाय एवं उसकी एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भेजी जाय, ताकि भारत सरकार के वेबसाईट पर उसे अपलोड किया जा सके।
10. प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना को पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे, पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी।
11. योजना का निर्माण कार्य पत्र प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर पूर्ण नहीं करने पर सारी जवाबदेही कार्यकारी एजेंसी के उपर होगी।
12. योजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 री तारीख तक जिला योजना कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
13. निविदा निस्तार कि तिथि, कार्य आवंटित कि तिथि तथा एकरारनामा की राशि संबंधी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं योजना का निर्माण सरकारी जमीन पर की जाय।
14. कब्रिस्तान का निर्माण वैसे स्थल पर किया जाए जो निजी नहीं हो बल्कि खतियान से सर्वसाधारण बिहार या कब्रिस्तान आदि के रूप में दर्ज हो।
15. अनुलग्नक --प्राक्कलन।

  
 जिला पदाधिकारी,  
 अरवल।

ज्ञापांक.....441/जि0यो0 अरवल, दिनांक.....03.10/2019

- प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह, विशेष विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि: सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि: आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी, कलेर/करपी/ कुर्था को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को डाटा अपलोड करने हेतु प्रेषित
- प्रतिलिपि: कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला योजना कार्यालय, अरवल को डाटा अपलोड करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: एक प्रति सूचना पट्ट पर।

  
 जिला पदाधिकारी,  
 अरवल।